UPSB010000562026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14 वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र

पीठासीन अधिकारीः **हरिकेश कुमार**, (उच्चतर न्यायिक सेवा), जे.ओ.कोड– यू.पी.1822

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं.– 12/2026

विनय कुमार मिश्र पुत्र कपिल मुनि मिश्र, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी अशोक नगर अकड़हवा पोखरा, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

.....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. लालवर्ती सिंह पुत्र स्व. कन्हैया लाल सिंह, उम्र लगभग 63 वर्ष,
3. उदय भान सिंह पुत्र लालवर्ती, उम्र 31 वर्ष व
4. भानु प्रताप सिंह पुत्र लालवर्ती सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम पापी, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

.....रेस्पोंडेंट्स।

धारा–438 बी.एन.एस.एस,
थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र।

16.07.2026

– निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ख अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम –

1. आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र का.सं.–5ख मय शपथ पत्र 6ख अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। प्रार्थी ठण्डी लगने के कारण बीमार हो गया था। प्रार्थी अपना घरेलू दवा इलाज करा रहा था। प्रार्थी ने रिवीजन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। प्रार्थना पत्र दाखिल करने में कोई विलम्ब हुआ हो तो विलम्ब को माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की गयी।

2. प्रार्थना पत्र के साथ सूची 7ख/1 से आक्षिप्त आदेश दिनांक 25.09.2025 की सत्यप्रति, प्रार्थना पत्र अं.धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. व शपथ पत्र की छायाप्रति तथा सूची 7ख/7 से पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, नायब तहसीलदार, विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज के आदेश दिनांकित 27.11.2024 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

3. विपक्षी संख्या 1 की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है। आवेदक ने जानबूझकर विलम्ब से बिना किसी उचित कारण के उक्त अपील योजित की है, जो निरस्त होने योग्य है।

4. विपक्षी संख्या 2, 3, व 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री रवीन्द्र बहादुर सिंह का वकालतनामा 10ख दाखिल है, किंतु कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं है और न ही सुनवाई के समय उनकी तरफ से पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित आया है।

Digitally signed by HARIKESH KUMAR
Date: 2026.07.16 16:45:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

5. निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं. 1 की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया।

6. पत्रावली से यह तथ्य विदित होते हैं कि–

1. यह दाण्डिक निगरानी विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन, सोनभद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद सं.–195/2025, विनय कुमार मिश्र बनाम लालवर्ती आदि, अं.धारा–173(4) बी.एन.एस.एस., थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र के मामले में पारित आदेश दिनांकित 25.09.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

2. प्रस्तुत निगरानी दिनांक 05.01.2026 को योजित की गयी है। परिसीमा अवधि दिनांक 25.12.2025 तक ही थी, किंतु उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.12.2025 से ही शीतअवकाश के कारण न्यायालय बंद हो जाता है और पुनः 01 जनवरी को न्यायालय खुलता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.01.2026 को विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र 5ख के साथ निगरानी योजित की गयी है, जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी ठण्डी लगने के कारण बीमार हो गया था और घरेलू इलाज करा रहा था, जानबूझकर विलम्ब नहीं किया।

7. इस पत्रावली में प्रथम प्रश्न यह है कि क्या यह दाण्डिक निगरानी परिसीमा के अंतर्गत है, या नहीं? यदि नहीं तो क्या आवेदक धारा–5 परिसीमा अधिनियम के लाभ का हकदार है?

8. फौजदारी निगरानी दायर करने की सीमा के संदर्भ में कानून व्यवस्था अनुच्छेद 116 परिसीमा अधिनियम में दी गयी है।

9. धारा–5 परिसीमा अधिनियम में व्यक्त अभिव्यक्ति ''पर्याप्त कारण'' काफी हद तक पक्षकार द्वारा देरी के लिये दिये गये स्पष्टीकरण पर निर्भर करती है। यदि न्यायालय यह पाती है कि आवेदक द्वारा देरी का जो कारण दर्शाया गया है वह सद्भावनापूर्ण है तो ऐसी देरी को माफ किया जा सकता है। आवेदक द्वारा विलम्ब का जो कारण दर्शित किया गया है वह सद्भाविक है।

10. The hon'ble supreme court in case title **Raheem shah & ANR. vs Govind singh & ors Civil Appeal number 4628 of 2023 decided on 24.07.2023 held in para no.2** that:

"Refusing to condone the delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties.

And in para no. 5 that The above decision expressing the intention of justice-oriented approach percolating down to all the courts was rendered nearly three decades ago but unfortunately the case on hand demonstrates the pervading insensitive approach, which apart from continuing the agony of the litigants concerned has also unnecessarily burdened the judicial hierarchy which after going through the entire process will have to set the clock back, at this distant point in time and prolong their agony. If only the court concerned had been sensitive to the justice-oriented approach rather than the iron-cast technical approach, the litigation between the parties probably would have come to an end much earlier after decision on the merits of their rival contention."

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्णयज विधि व्यवस्था **एन० बाल कृष्णन बनाम एम० कृष्णामूर्ति ए०आई०आर० 1998 पेज 3222 सु०को०** का सम्यक अवलोकन किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब माफ करने हेतु विलम्ब का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होता है, न कि विलम्ब की अवधि। पक्षकारों के मध्य मौलिक न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय को धारा–05 परिसीमा अधिनियम, 1963 का बहुत ही लचीले दृष्टिकोण से निर्वहन करना चाहिए।

12. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र 5ख में अपील योजित करने में हुए विलंब के संबंध में जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है वह सद्भावी प्रतीत होता है। उपरोक्त निर्णयज विधि व्यवस्थाओं तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुणदोष पर निस्तारण हेतु निगरानी योजित करने में जो विलम्ब है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र का.सं.–5ख अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

13. प्रार्थना पत्र का.सं.–5ख अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

14. पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 17.08.2026 को पेश हो। कार्यालय लिपिक अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनांक 16.07.2026

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी,
14वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश
(गैंगेस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ.कोड– यू.पी.1822